

(विक्रय-पत्र)

विक्रीत क्षेत्रफल- 1.018 है० का 3/5 भाग, कुल भाग
किरम जमीन- सिंचित
दर- 25,00,000/-प्रति एकड़

बैनामा प्रतिफल = 30,00,000 /-
सरकारी मूल्य भूमि + बोरिंग + पेड = योग
37,74,000 + 8000 + 16,000 = 37,98,000 /-
दस्तावेज का सिलसिला नं०.....

यह लेखपत्र आज दिनांक 08.04.2013 ई० को संलग्न स्टाम्प में अंकित विवरणानुसार कुल देय रू०-
1,90,000 /- के कुल स्टाम्प- 11 पन्नों पर बिक्रीत सम्पत्ति के सरकारी मूल्य कुल रू० - 37,98,000 /-
पर अदा करते हुए श्री शशी कुमार वर्मा पुत्र श्री रघुवीर सरन व श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नी
श्री शशी कुमार वर्मा जाति- सोनार, पेशा- व्यापार/गृहणी, निवासीगण मौ०-
विजयनगर कस्बा धनौरा, तहसील व परगना धनौरा जनपद अमरोहा (उ० प्र०).....

विक्रेता/प्रथम पक्ष

में रूपये- 30,00,000 /- रू० (तीस लाख रूपये)
की जिसके आधे रूपये - 15,00,000 /-रू० (पन्द्रह लाख रूपये)
होते हैं, प्रतिफल के बदले में श्री अमर सिंह मैमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी,
शोरपुर रोड धनौरा, अमरोहा द्वारा बाहैसियत प्रबन्धक श्रीमती अनीता पत्नी श्री अशोक
कुमार जाति- सैनी निवासी मौ०- चामुण्डा, शोरपुर रोड धनौरा, तहसील व परगना
धनौरा जनपद अमरोहा (उ० प्र०).....

केता/द्वितीय पक्ष

के हक में ग्राम- शहबाजपुर गूजर, तहसील धनौरा जिला अमरोहा स्थित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण
संलग्न स्टाम्प में दिया गया है सम्बन्ध में निष्पादित किया।

जा कि (विक्रेता) प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है, और वह उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति हर प्रकार
के जमाने और विवाद एवं कब्जे आदि से मुक्त है, तथा इसको विक्रय करने का (विक्रेता) प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है
अतः (विक्रेता) प्रथम पक्ष को अपनी स्वेच्छा से प्रसन्नता से स्वरथ मरिचक की दशा में खूब सोच समझकर अपनी आवश्यकता हेतु
एवम् वर्तमान मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित समस्त स्वत्व अधिकारों एवम् हितों सहित बिना कोई विषय पर सुरक्षित
रखे, संलग्न स्टाम्प पर अंकित प्रतिफल के बदले में (केता) द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया। अब इस सम्पत्ति से (विक्रेता)
प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।
विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपना स्वामित्व व अधिपत्य हटाकर द्वितीय पक्ष केता का स्वामित्व व अधिपत्य करा दिया
है। इस प्रकार बदल कब्जा अमल में आया अब यदि (विक्रेता) प्रथम पक्ष के स्वत्व, अधिकार के अभाव या त्रुटि के कारण या
किसी भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी कारण से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या उसका अंश (केता) द्वितीय पक्ष के अधिकार
से निकल जावे या उस पर (केता) द्वितीय पक्ष को अधिकार न मिले या किसी भार, जिसका स्पष्ट उल्लेख (विक्रेता) प्रथम पक्ष न
किया हो (केता) द्वितीय पक्ष को चुकता करना पड़े, ऐसी समस्त दशाओं में (केता) द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं
या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा व्यय भार सब मय हर्जा खर्चा अदालत, (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके
उत्तराधिकारियों की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले। (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को
कोई आपत्ति न होगी।

प्रथम पक्ष

श्री शशी कुमार वर्मा



श्री शशी कुमार वर्मा

सुनीता वर्मा



सुनीता वर्मा

द्वितीय पक्ष

Mitu



Mitu

सत्यापित प्रति

पदमे वाला

मिलान कर्ता

उप निबन्धक धनौरा